न्यायालय श्री दिनेश कुमार, न्या0 दण्डा0, प्रथम श्रेणी, दाउदनगर।

जी0आर0नं0:—743 / 2021

उपहारा थाना कांड संख्या :—45 / 2021

04.03.2022 काराधीन अभियुक्त बजरंगी कुमार की ओर से शक्ति पत्र के साथ जमानत आवेदन दाखिल किया गया । आवेदन की प्रति विद्वान अभियोजन पदा0 को दी गई है ।

वाद पुकार पर आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त जमानत आवेदन के आलोक में निवेदन करते है कि आवेदक निर्दोष है । आवेदक की ओर से उक्त जमानत आवेदन के अलावा किसी अन्य न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल नही किया गयाहै । आवेदक को उक्त मुकदमा में झूठा एवं मनगढं.त आरोप लगाकर फंसा दिया है । आवेदक के विरूद्ध दर्ज धाराओं में धारा 379 भा0द0सं0 को छोड.कर अन्य सभी धाराएँ जमानतीय प्रकृति का है तथा उक्त धारा आवेदक के विरूद्ध अपोषणीय है। अभियुक्त को उपहारा थाना कांड संख्या—46 / 2021 से दिनांकः—09.08.2021 को इस वाद में रिमाण्ड किया गया है । आवेदक को उपहारा थाना कांड संख्या—46 / 2021 में जमानत प्राप्त है । आवेदक को उक्त मुकदमा में झूठा आरोप लगाया गया है कि उसने मोटरसाईकिल की चोरी की है, जबकि उसके द्वारा ऐसा नही किया गया है । केस डायरी में आवेदक के विरूद्ध कोई साक्ष्य नही है । आवेदक इस मुकदमा में दिनांक—09.08.2021 से न्यायिक अभिरक्षा में है । अतः आवेदक को किसी भी राशि का जमानत दिया जाय।

विद्वान अभियोजन पदाधिकारी जमानत का विरोध करते हैं ।

सुना । अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि आवेदक के विरूद्ध अंतर्गत धारा 379 एवं 411 / 34 भा0दं0वि0 के तहत संज्ञान लिया गया है। संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक—04.08.2021 को मोटरसाईकिल निवंधन संख्या—BR02AR9606 से महदीपुर बाजार जाने के लिए निकला । रास्ते में सूचक को पैखाना लगने पर वह मोटरसाईकिल खड.ा कर बगल में पैखाना करने लगा कि उसी समय उक्त अभियुक्त बजरंगी कुमार एवं तिजु कुमार आया और सूचक का मोटरसाईकिल का लॉक झटका मारकर तोड.ते हुए मोटरसाईकिल चालू कर दोनो उस पर बैठ कर भाग गये । आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है । जप्ती सूची अभिलेख पर है, जिसमे वर्णित मोटरसाईकिल का जिक है । प्राथमिकी में आवेदक के विरूद्ध मोटरसाईकिल चोरी करने का स्पष्ट आरोप है । आवेदक इस वाद के अतिरिक्त अन्य वाद में भी अभियुक्त है यानी आवेदक का अपराधिक इतिहास है । उक्त वाद के अन्य अभियुक्त विकास कुमार एवं तिजु कुमार का स्वीकारोक्ति बयान अभिलेख पर है, जिसमे उसने कारित घटना में आवेदक की संलिप्तता से संबंधित कथन किया है । आवेदक के विरूद्ध अनुसंधान जारी है । आवेदक के विरूद्ध गम्भीर आरोप है ।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति तथा गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए आवेदक / अभियुक्त का जमानत आवेदन न्यायहित में स्वीकृत किया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त आवेदक / अभियुक्त की ओर से दाखिल जमानत आवेदन खारिज किया जाता है ।

न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, दाउदनगर ।